भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2353

दिनांक 03 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

बंजर भूमि को उर्वर बनाना

2353. श्री सुब्रत पाठकः

श्री रेबती त्रिपुराः

श्री विजय कुमार दुबेः

श्री जी. सेल्वमः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग ने भारत की बंजर भूमि के मानचित्र का 2019 का संस्करण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस प्रक्रिया के क्या लाभ हैं;

(ग) देश में ऊसर और परती/बंजर भूमि का प्रतिशत के रूप में और कुल क्षेत्र का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा भारत में कृषि भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(घ) कार्यान्वित की गई परियोजनाओं और कृषि के अंतर्गत लाए गए बंजर भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए और भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए किन-किन प्रविधियों का उपयोग किया गया है और इससे कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) विशेषकर देश के जनजातीय क्षेत्रों में बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु कार्यक्रम के तहत स्वीकृत/जारी और व्यय की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ये कार्यक्रम किन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए हैं/किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) जी हां। भूमि संसाधन विभाग द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन अर्थात "भारत का बंजरभूमि एटलस (2008-09 और 2015-16 के अस्थायी उपग्रह डाटा पर आधारित परिवर्तन विश्लेषण)" करवाया गया। यह अध्ययन राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद द्वारा किया गया था। इसके परिणाम को "भारत का बंजरभूमि एटलस, 2019" के रूप में प्रकाशित किया गया और 04 नवंबर, 2019 को जारी किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2008-09 और 2015-16 के दौरान बंजरभूमि के जिला-वार अनुमानित क्षेत्र निहित हैं।

इस एटलस की मुख्य विशेषताएं हैं (i) 2008-09 के मानचित्रों को 2015-16 रिसोर्ससेट-2 डाटा के साथ अद्यतन करना और 2015-16 के बंजरभूमि मानचित्र को तैयार करना (ii) 2008-09 और 2015-16 के बीच बंजर भूमि क्षेत्रों में हुए मुख्य परिवर्तनों की पहचान और उन्हें चित्रित करना (iii) बंजरभूमि भूस्थानिक डाटाबेस का सृजन और भुवन जियोपोर्टल के माध्यम से उसका प्रसार करना (iv) बंजरभूमि के श्रेणीवार स्थानिक परिवर्तन आंकड़ों को तैयार करना और उसका एटलस के रूप में संकलन करना।

बंजरभूमि एटलस आगे के विस्तार को रोकने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जानकारी मुहैया करती है तथा यह उत्पादक प्रयोग/हरितकरण, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नई अवसंरचना परियोजनाओं और भावी सौर फार्मों इत्यादि के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहायक है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजर भूमि के विकास की योजना तैयार करते समय, राज्य सरकारें निरपवाद रूप से ऐसे विश्वसनीय संदर्भों से व्यावहारिक रूप से सहायता प्राप्त करती है।

(ग) आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ऊसर और परती/बंजरभूमि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे (प्रतिशत में) **अनुबंध I** में दिये गए गए हैं।

(घ) बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम/कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2015-16 से देश में वर्षासिंचित क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजरभूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इससे पहले, इस योजना को एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) के नाम से जाना जाता था जो कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक चालू थी। इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे मुख्य कार्यकलापों में रिज क्षेत्र निरूपण, जल

निकास लाइन निरुपण, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास सम्पत्तिहीन लोगों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं।

इस विभाग ने आईडबल्यूएमपी के तहत वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की हैं। 8214 स्वीकृत परियोजनाओं में से, 345 आरंभ न की गई परियोजनाओं और तैयारी चरण में 1487 परियोजनाओं (कुल 1832) को उनके अपने-अपने राज्यों के बजट के तहत कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को अंतरित किया गया था।

इस योजना के अधीन राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच (सितंबर, 2019 तक) लगभग 6.08 लाख जल संचयन संरचनाओं को सृजित/नवीकृत किया गया था, लगभग 13.47 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अधीन लाया गया है और उक्त अवधि के दौरान लगभग 27.25 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राप्त सूचना के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जन भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों और इसके आस-पास के क्षेत्रों के पुनरुज्जीवन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान (अर्थात 2016-17 से 2018-19 तक) 57,292 हेक्टेयर क्षेत्र के निरूपण के लिए राज्यों को 234.74 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ड.) देश में जनजातीय क्षेत्रों सहित वर्षासिंचित क्षेत्रों और कृषि योग्य-बंजरभूमि में सुधार के लिए आईडबल्यूएमपी/ डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई निधियां [वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक (28.11.2019 तक)] और उपयोग की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** II में दिए गए हैं।

(च) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला और परियोजना स्तरों पर एजेंसियों/संस्थागत संरचनाओं का गठन किया गया है। विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे ग्राम वाटरशेड समिति जो कि कार्यक्रम को लागू करती है के गठन के माध्यम से जनता की भागीदारी पर बल देना, समर्पित कार्यान्वयन संरचनाएं; भुवन आईडबल्यूएमपी पोर्टल, दृष्टि मोबाइल एप, फील्ड दौरे और नियमित समीक्षा बैठकें इत्यादि।

*****

अनुबंध ।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र परती और गैर-कृषि योग्य बंजरभूमि, कृषि योग्य बंजरभूमि और ऊसर के प्रतिशत (%) सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(हज़ार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	परती और गैर-कृषि योग्य भूमि		कृषि योग्य बंजरभूमि		वर्तमान उसरों के अलावा ऊसर भूमि		वर्तमान ऊसर	
		क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
आंध्र प्रदेश	16276	1351	8.30	391	2.40	858	5.27	1401	8.61
अरुणाचल प्रदेश	8374	37	0.45	62	0.75	65	0.77	36	0.43
असम	7844	1190	15.17	142	1.81	87	1.11	87	1.11
बिहार	9416	432	4.58	45	0.47	119	1.27	889	9.44
छत्तीसगढ़	13519	288	2.13	351	2.59	258	1.91	267	1.98
गोवा	370		0.00	53	14.20		0.00	15	4.01
गुजरात	19602	2552	13.02	1960	10.00	16	0.08	379	1.93
हरियाणा	4421	119	2.69	17	0.39	22	0.50	86	1.94
हिमाचल प्रदेश	5567	777	13.97	122	2.19	22	0.40	54	0.97
जम्मू और कश्मीर	22224	305	1.37	139	0.63	15	0.07	106	0.48
झारखंड	7972	568	7.13	353	4.43	1122	14.07	1386	17.38
कर्नाटक	19179	787	4.10	409	2.13	525	2.74	1572	8.19
केरल	3886	13	0.33	101	2.59	55	1.41	65	1.68
मध्य प्रदेश	30825	1357	4.40	1010	3.28	483	1.57	388	1.26
महाराष्ट्र	30771	1727	5.61	919	2.99	1188	3.86	1399	4.55
मणिपुर	2233	1	0.04	1	0.03	0	0.00	0	0.01
मेघालय	2243	129	5.76	390	17.37	155	6.91	60	2.69
मिज़ोरम	2108	6	0.30	7	0.35	127	6.04	47	2.21
नागालैंड	1658	2	0.15	68	4.13	99	5.97	50	3.04
ओडिशा	15571	1078	6.92	550	3.53	631	4.05	918	5.90
पंजाब	5036	58	1.15	69	1.37	6	0.11	83	1.65
राजस्थान	34224	2403	7.02	4038	11.80	2069	6.05	1856	5.42
सिक्किम	710		0.00	4	0.59	5	0.63	7	0.99
तमिलनाडू	13006	489	3.76	325	2.50	1734	13.33	998	7.68
तेलंगाना	11231	607	5.41	183	1.63	805	7.17	1401	12.47
त्रिपुरा	1049		0.00	3	0.29	2	0.16	1	0.11
उत्तराखंड	5348	228	4.27	317	5.93	86	1.61	57	1.07
उत्तर प्रदेश	24093	462	1.92	405	1.68	509	2.11	1122	4.66
पश्चिम बंगाल	8875	11	0.12	17	0.19	11	0.13	339	3.82
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	825	2	0.20	3	0.37	3	0.40	3	0.32
चंडीगढ़	11		0.00		0.00	0	0.45	0	0.48
दादरा और नगर हवेली	49	0	0.17	0	0.94	2	4.37	2	4.71
दमन और दीव	11		0.00	0	0.51	0	0.07	0	1.05
दिल्ली	148	18	11.96	10	6.68	8	5.45	12	7.93
लक्षद्वीप	3		0.00		0.00		0.00		0.00
पुडुचेरी	48	0	0.15	5	9.49	3	5.98	5	9.91
अखिल भारत	**328726**	**16996**	**5.17**	**12469**	**3.79**	**11092**	**3.37**	**15091**	**4.59**

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यकीय निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

नोट: '500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए 0' दर्शाया गया है

अनुबंध - II

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अधीन वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी और उपयोग की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा @	उपयोग की गई निधियां *
1	आंध्र प्रदेश	1060.68	1739.38
2	अरुणाचल प्रदेश	244.33	287.27
3	असम	492.75	507.83
4	बिहार	151.31	201.31
5	छत्तीसगढ़	330.35	515.89
6	गुजरात	1288.64	1676.45
7	हरियाणा	101.94	120.61
8	हिमाचल प्रदेश	283.58	294.35
9	जम्मू और कश्मीर #	230.82	226.81
10	झारखंड	191.52	225.33
11	कर्नाटक	1894.70	2521.22
12	केरल	128.69	163.66
13	मध्य प्रदेश	1497.49	1951.81
14	महाराष्ट्र	2413.95	3043.68
15	मणिपुर	149.10	160.74
16	मेघालय	173.03	184.77
17	मिजोरम	259.89	288.42
18	नागालैंड	539.15	589.79
19	ओडिशा	1004.31	1289.81
20	पंजाब	60.42	67.49
21	राजस्थान	2534.70	3576.81
22	सिक्किम	22.08	26.71
23	तमिलनाडु	924.94	1191.46
24	तेलंगाना	590.30	556.83
25	त्रिपुरा	210.96	234.03
26	उत्तराखंड	131.08	134.77
27	उत्तर प्रदेश	808.49	959.07
28	पश्चिम बंगाल	197.08	261.14
कुल		**17916.28**	**22997.44**

नोट : गोवा में कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।

@ 28.11.2019 तक, पूर्ववर्ती आईडबल्यूएमपी के तहत जारी निधियों सहित

* राज्यों द्वारा सूचित निधियां 30.09.2019 तक हैं और उपयोग की गई निधियों में लेखा परीक्षा के बाद परिवर्तन हो सकता है। उपयोग की गई निधियों में केन्द्रीय हिस्सा, राज्य का हिस्सा, ब्याज और विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं। किसी वर्ष की उपयोग की गई निधियों में पिछले वर्ष की परियोजनाओं की शेष निधियां भी शामिल हैं।

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर